

(क) केन्द्रीय सचिवालय में ऐसे अस्थायी असिस्टेंटों की संख्या कितनी है, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास नहीं की है;

(ख) ऐसे असिस्टेंटों के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ग) वे कब तक बिना संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास किये अपनी जगहों पर कायम रह सकते हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (बी बातार): (क) सूचना सुगमता से उपलब्ध नहीं है।

(ख) श्री (ग). ये लोग अपनी जगहों पर कब तक कायम रहने के पात्र हैं जब तक उनके लिये असिस्टेंटों के पद उपलब्ध हैं।

१९६० में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

२८७. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री झुलन सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय कर्मचारियों ने १९६० में जो हड़ताल की थी उसमें शामिल होने की वजह से कितने कर्मचारियों को दण्ड दिया गया;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया गया; और

(ग) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके चाल-चलन के लेख में यह लिख दिया गया कि उनको अवैध हड़ताल में भाग लेने की वजह से दण्डित किया गया?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (बी बातार): (क) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-मटल पर रख दी जायेगी।

(ख) ५२।

हिन्दी असिस्टेंटों को पूर्व पदों पर भेजना

२८८. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५९ में आयोजित हिन्दी असिस्टेंटों की परीक्षा के आबार पर जिन हिन्दी असिस्टेंटों को पूर्व पदों पर भेज दिया गया उनमें से ऐसे कितने थे जिनकी तीन साल से अधिक नौकरी थी;

(ख) क्या इन लोगों को १९४९ के अस्थायी सेवा नियमों के अन्तर्गत अर्द्धस्थायी (क्वासी परमानेन्ट) होने का हक दिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (बी बातार): (क) १३।

(ख) और (ग). बिना परीक्षा के हिन्दी असिस्टेंटों के पद पर नियुक्त उन व्यक्तियों को जिन्हें रिजर्व कर दिया गया है उन पदों पर अर्द्धस्थायी (क्वासी परमानेन्ट) किये जाने के अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इन लोगों की नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी प्रबन्ध के रूप में की गई थीं और अंतिम रूप से इन पदों के लिये अनुमोदित भरती के तरीके के अनुसार नहीं थीं।

हिन्दी असिस्टेंट

२८९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ से अब तक असिस्टेंट ग्रेड की कितनी परीक्षाएँ लोक संघ सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई ;

(ख) इन परीक्षाओं में जो असिस्टेंट फेल हुए उनकी संख्या क्या है ; और उनमें से ऐसे कितने हैं जो अब भी अस्थायी रूप से अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दी असिस्टेंटों के लिये १९५९ में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसके आघार पर उन सभी हिन्दी असिस्टेंटों को रिजर्ट कर दिया गया है, जो परीक्षा में नहीं बैठे या असफल रहे थे ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बातार) : (क) हाँ, जिनमें से तीन विभागीय परीक्षायें थी, और प्रेड की सीवी भरती के लिए पांच खुली प्रतियोगी परीक्षाएँ थीं ।

(ख) सूचना सुगमता से उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ). संघलोक सेवा आयोग द्वारा १९५९ में ली गई हिन्दी असिस्टेंट परीक्षा केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में हिन्दी असिस्टेंटों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्तियाँ करने के लिए थीं । केवल एक को छोड़ कर उन सभी असफल हिन्दी असिस्टेंटों के पदों पर जो इस परीक्षा से पहले अस्थायी आघार पर नियुक्त किए गए थे, परीक्षा में पास हुए व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया है । बिना परीक्षा पास किये यह हिन्दी असिस्टेंट नागपुर के एक कार्यालय में नियुक्त है जहाँ पर परीक्षा में पास हुए व्यक्तियों में से कोई जाने को तैयार नहीं है ।

Public Sector Undertakings

290. Shri Damani: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government contemplate to have recruitment to the Scientific and Technical Pool to man the Public sector undertakings; and

(b) if so, the nature of scheme contemplated as such?

The Deputy Minister of Home Affairs (Shrimati Alva): (a) No. The pool is intended primarily for temporary placement of well-qualified Indian scientists and technologists returning from abroad. Recruitment to the pool is continuous. Persons appointed to the pool may be attached to a public sector undertaking where suitable, but it is not contemplated that there should be recruitment to the pool specifically for the object of manning public undertakings.

(b) Does not arise.

Dowry Prohibition Act, 1961

291. Shri Aurobindo Ghosal: Will the Minister of Law be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2832 on the 30th August, 1961 and state:

(a) whether the States have enforced the Dowry Prohibition Act, 1961; and

(b) if so, how many and what are these States?

The Deputy Minister of Law (Shri Hajarnavis): (a) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Dowry Prohibition Act, 1961, the Central Government appointed the 1st day of July, 1961, for the coming into force of the Act throughout India except the State of Jammu and Kashmir and the question of enforcement of the Act by the States does not arise.

(b) Does not arise.

Naga Rebels

292. Shri L. Achaw Singh: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an under-ground camp of 30 rebels was captured by the Indian Army at Leisan in the sub-division of Ukhrul;

(b) if so, whether these rebels have been prosecuted in any court of law; and